न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 12/20 दायरा दिनांक 06/08/2020

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

राजकुमार पुत्र कालीचरण उम्र 30 वर्ष जाति किराड निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान —वादी

बनाम

1. वीरसिंह पुत्र भगवानलाल जाति अहीर निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान हाल मकसूदनगढ तहसील राधोगढ जिला गुना मध्यप्रदेश
2. डबलू पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. अनन्दासिंह उर्फ अननसिंह पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. नत्थू पुत्र स्व.जानकिया उर्फ जानकीलाल जाति अहीर निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. कोयल पत्नि स्व.जानकिया उर्फ जानकीलाल जाति अहीर निवासी सहरोलतलहटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान (फौत)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राज.

—प्रतिवादीगण

दावा वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

<u>अन्तिम—निर्णय दिनांक— 09.12.2023</u>

उपस्थित— वादी की ओर से—श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी 2,3 व 4 की ओर से—श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादी 1 की ओर से —एकपक्षीय
प्रतिवादी 6 की ओर से —पेरोकार सरकार

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहरोल तलेटी पटवार हल्का शाहावाद तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 597 रकवा 6.02 बीघा किता 2 कुल रकबा 8.12 बीघा स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 6.02 बीघा को दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी कम 1 के नाम हिस्सा 1/2, प्रतिवादी कम 2 व 3 के नाम हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी कम 4 व 5 के नाम हिस्सा 1/4 से दर्ज रिकार्ड रही है, इस प्रकार उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा निहित रहा है। उक्त विवादित आराजी का प्रतिवा[illegible]लगायत 5 ने मौके पर विभाजन कर रखा है। मुताबिक विभाजन [illegible] आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 6.02 बीघा में पश्चिमी [illegible] वीरसिंह तथा पूर्वी तरफ प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 [illegible] हैं। दिनांक 17.06[illegible] को प्रतिवादी कम 1 वीरसिंह ने विवादित आराजी [illegible]रा नम्बर 597 रकवा [illegible]घा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज

CamScanner

में से अपने हिस्सा 1/2 का विक्रय वादी के हक में कर मौके पर दखल तथा कब्जा संभलाया है। तभी से वादी अपनी क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 597 रकवा 6.02 बीघा के पश्चिमी हिस्सा 1/2 पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करता चला आ रहा है। क्रय पश्चात वादी ने अपने पश्चिमी हिस्सा 1/2 में कुआ खोद लिया है तथा अपनी हिस्सा आराजी को सिंचित बना लिया है। परन्तु खाता संयुक्त होने से वादी को कृषि ऋण मुआवजा आदि लेने में भारी दिक्कत तथा परेशानी आ रही है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से खाता प्रथक कराने के लिये निवेदन कर लिया परन्तु प्रतिवादीगण आने के लिये तैयार नहीं है और हर बार आनाकानी करते हैं। दिनांक 09.06.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार विभाजन कराने को कहा तो उन्होने इनकार कर दिया। इस कारण वादी अपनी क्रयशुदा आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 6.02 बीघा के पश्चिमी हिस्सा 1/2 का विभाजन कराकर प्रथक से खाता दर्ज कराने का अधिकारी व नालिशी है। प्रतिवादीक्रम 5 कोयल फौत हो चुकी है, जिसका प्रतिवादीक्रम 4 ही पुत्र होकर वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। खाता संयुक्त होने से एवं सहखातेदार होने से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 को तथा सर्वोच्च भूस्वामी होने से प्रतिवादी क्रम 6 को वाद में पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 09.06.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुये, इस कारण वादी को वाद कारण प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत स्थित होने से श्रीमान को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर. अवधिमध्य पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सहरोल तलेटी पटवार हल्का शाहावाद तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 6.02 बीघा हिस्सा 1/2 पश्चिमी का विभाजन किया जांकर पृथक से खाता इन्द्राज किया जावे और तदानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने के सादर आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 2 3 व 4 की ओर से जरिये वकील जबाव पेश किया गया। बाद कायमी तनकीयात एवं उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.04.2023 को विभाजन हेतु प्राथमिक निर्णय तथा डिकी जारी की जाकर तहसीलदार शाहावाद से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। प्राथमिक निर्णय तथा [illegible] तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार करते हुये कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। [illegible] प्रस्ताव विवादित आराजी खसरा संख्या 597 रकबा 6.02 बीघा ग्राम सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद में मौके पर पश्चिमी हिस्सा 1/2 पर वादी राजकुमार काबिज काश्त है तथा पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.

CamScanner

हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 काबिज काश्त हैं। वादी के पश्चिमी हिस्सा 1/2 में एक कुआं भी बना हुआ है और इसी अनुसार पूर्व से बंटवारा कर रखा है।

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष अधिवक्तागण की अनापत्ति के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 597 रकबा 6.02 बीघा किस्म बारानी 2 ग्राम सहरोल तलेटी तहसील शाहावाद में से वादी हिस्सा 1/2 पश्चिमी का विभाजन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तद्नुसार खाता प्रथक कर रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव नक्शा तरमीम किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.12.2023 को लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:19 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner